



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय

142 सी. सेक्टर 11, हिरानमगरी उदयपुर, 313002

फोन : 0294-2583139, 2583215, ईमेल ro.udaipur@ibm.gov.in

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Office of Regional Controller of Mines

142-C Sector-11, Hiran Magri, Udaipur(Raj) 313002

Phone : 0294-2583139, 2583215, email ro.udaipur@ibm.gov.in

38RAJ03007

खान मिसिल सं.

सेवा में

RAJ/BNSW/LST-6

M/s Trinetra Cement Works Limited  
Near Village Jhalon Ka Garha  
PO Wajwana Tehsil Garhi,  
Distt Banswara-327 025  
Rajasthan

पंजीकृत पावती  
उल्लंघन पत्र

दिनांक :

11 MAY 2016

विषय:

राजस्थान राज्य के जिला बांसवाड़ा निकट ग्राम झालों का गढ़ा आदि स्थित, आपकी परतीपुरा चूनापत्थर खान में (एमएल एरिया 65.82 है.), खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन.

महोदय

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06/05/2016 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण करने के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित प्रावधानों के उल्लंघन पाये गये:

नियम सं	पाये गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
13(1)	The mining operation is being carried out in contravention of the following provision of the approved Scheme of Mining (SOM), Approved vide letter No. 682(23)(MS-451)/08- UDP, dated 15.05.2014; (i) Plantation was not carried out in the location during the year 2015-16 as per proposal depicted in plate no.11 of the approved scheme of mining dated 15.05.2014.
28(1)(a)	Plans and sections kept at mines under this rule is found not correct in following manner: Surface Plan is not showing the different types of land and the actual status as per rules..
45(5)(b)(viii)	The following discrepancies are found in the annual return for the year 2014-15 submitted in form H-8 to the Regional Controller of Mines: i) Part V 3 Resource and Reserve is not matching with approved Scheme of Mining.

इस संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता है की इन नियमों/प्रावधानों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त नियम 13(1) की अनुपालना न होने पर नियम 13(2) के तहत खनन कार्य स्थगित करने की अनुशंसा क्षेत्रीय खान नियंत्रक से की जा सकती है एवं नियम 45 की अनुपालना न होने पर नियम 45(7)(i)(a) के तहत खनन कार्य स्थगन/ अभियोग दायर की सिफारिश क्षेत्रीय खान नियंत्रक से करने की अनुशंसा की जा सकती है।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय,

(पुष्पेन्द्र गौड़)

उप खान नियंत्रक

मूल पर नहीं

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2 निदेशक खान एवं भू विज्ञान निदेशालय, उदयपुर (राजस्थान)
- 3 रक्षित पत्रावली।
- 4 का. प्र.

उप खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो